

— आदेश —

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती-जखेट-चौरासैण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.410 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.820 हे० सिविल सोयम

फाईल सं० 1518

विनांक 29/09/18

विनांक 29/09/18

भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-08वीं/यू०सी०पी०/06/04/2018/एफ०सी०/2131 दिनांक 07.03.2018 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती-जखेट-चौरासैण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.410 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम पिण्डवाली, प०वृ० देवलकोट, तहसील आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-71 के खसरा सं०-697 रकबा 7.000 हे० भूमि मध्ये 2.820 हे० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० भदौरिया),

जिलाधिकारी,

चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या 836/छब्बीस- (2017-2018) गोपेश्वर दिनांक 26 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैण/आदिबद्री।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनार्थ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गोचर।

29/09/18 29/09/18

आमा प्रात सहायक अभियन्ता, वन विभाग, देहरादून

कार्यवाही हेतु प्रेषित

आमा प्रात सहायक अभियन्ता, वन विभाग, देहरादून

जिलाधिकारी,

चमोली।

पटवारी क्षेत्र - दिल्ली/का

जनपद—~~अमृतसर~~

प्रेणी- 10(4) काय्य कारंती से सकुमिल २२ मि.

फरवरी 1421 से 1425 तक

[illegible]

नोट: नकल खतौनी अराल से तैयार की गई है।

हयबास
पटवारी क्षेत्र देवलाकोट
दिनांक १३.०१.०१८

52

निम्नलिखित सूची में दिए गए विषयों पर
 लेख लिखिए -
 1. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 2. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 3. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 4. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 5. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 6. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 7. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 8. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 9. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण
 10. शिक्षण - अध्यापन - शिक्षण

18.09.09

13. 09. 2018

[illegible][illegible]